Dainik Bhaskar (Indore), 14th June 2012, Page-2

सीनेट तय करेगी इंदौर आईआईटी का रुख

वन नेशन वन टेस्ट मामला होगी बैठक, मेंटोर मुंबई से प्रभावित नहीं होगा, डायरेक्टर, आर्डिनेंस में करना होगा बदलाव

भास्कर संवाददाता | इंदौर

सेंट्रल इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट के लिए प्रस्तावित वन नेशन वन टेस्ट पर विचार के लिए अगले महीने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) इंदौर की सीनेट बैठक होगी। इसकी पुष्टि आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर डॉ. प्रदीप माथुर ने भास्कर से विशेष चर्चा में की। सीनेट में ही इंदौर आईआईटी का रुख तय होगा कि वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वन टेस्ट के पक्ष में है या फिर आईआईटी कानपुर की तरह अलग टेस्ट चाहता है। सीनेट में चर्चा से पहले जुलाई में ही आईआईटी इंदौर की एकेडमिक काउंसिल की भी बैठक होगी। इसमें फैकल्टी व अन्य सदस्य शामिल होते हैं, वे भी इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे।

एकेडमिक काउंसिल में तय होगी दिशा- आईआईटी इंदौर इस मुद्दे को लेकर सीनेट से पहले एकेडमिक काउंसिल की बैठक करेगा। सीनेट की शक्तियों का इस्तेमाल एकडेमिक काउंसिल भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें डायरेक्टर, फैकल्टी व अन्य सदस्य रहेंगे। इस बैठक में जो तय होगा, वही निर्णय सीनेट में भी होना तय रहता है। ऐसे में काउंसिल में डायरेक्टर व फैकल्टी का रुख वन नेशन वन टेस्ट के प्रस्ताव पर काफी महत्पूर्ण होगा।

यह होती है सीनेट

हर आईआईटी में शिक्षा, परीक्षा व अन्य एकेडमिक मानकों के सामान्य सुपरविजन, निर्देशन व नियंत्रण के लिए सीनेट गठित होती है। इसमें डायरेक्टर, प्रोफेसर, विज्ञान, इंजीनियरिंग व मानविकी क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ व अन्य सदस्य होते हैं। इंदौर आईआईटी सीनेट में 20 से ज्यादा सदस्य हैं।

सीनेट, बोर्ड को फैसले का अधिकार

» इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 ने सभी आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है।

» एक्ट में किसी भी आईआईटी के लिए निर्णय के अधिकार की प्रमुख बॉडी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। इसके नीचे सीनेट है।

» सीनेट व बोर्ड का मुख्य काम यह देखना है कि एक्ट के अनुसार आईआईटी चले।

» सीनेट एकेडमिक गुणवत्ता के लिए मानक देखती है। ऑर्डिनेंस में सुधार या निरस्ती का भी प्रस्ताव कर सकती है।

» सीनेट के ऊपर बोर्ड होता है, जो इसके फैसलों पर अंतिम निर्णय ले सकता है।

ऑर्डिनेंस ने दिए हैं अधिकार

एमएचआरडी के वन नेशन वन टेस्ट के लिए मुख्य रुकावट इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 बनेगा। एक्ट की धारा 28 व ऑर्डिनेंस 3.2 में साफ लिखा है कि आईआईटी में चलने वाले बीटेक, बीटेक-एमटेक (ड्युअल कोर्स), एमएससी कोर्सेस में साल में एक बार प्रवेश दिए जाएंगे। सभी आईआईटी में यह प्रवेश ज्वॉइंट एंट्रेस एग्जाम (जेईई) के जरिए होंगे जो सभी आईआईटी मिलकर आयोजित कराएंगे।

मुंबई से तय नहीं होगी आईआईटी इंदौर की दिशा

वन नेशन वन टेस्ट पर आईआईटी इंदौर ने क्या तय किया है?

» अंतिम निर्णय नहीं किया है, इस मुद्दे पर सीनेट में चर्चा होगी। इससे पहले जुलाई में एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी, यह भी सीनेट के बराबर अधिकार रखती है।

मुंबई आईआईटी, इंदौर का मेंटोर है। वहां से कुछ तय होगा क्या?

» आईआईटी इंदौर की परीक्षा पद्धति आईआईटी मुंबई के आधार पर तय नहीं होगी। हम अपना फैसला खुद लेंगे।

डॉ. प्रदीप माथुर, डायरेक्टर, आईआईटी, इंदौर